365

संख्या– /XVIII(II)/2016–18(08)/2016

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई, 2016

विषयः– जनपद चमोली में नगर पालिका परिषद, जोशीमठ द्वारा सेना के वाटर टैंक से गैस गोदाम तक हल्के वाहन मार्ग निर्माण हेतु कुल 0.045 है0 भूमि शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2643/छब्बीस–33(2015–2016) दिनांक 16.02.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के रा0उ0नि0क्षे0 एवं तहसील जोशीमठ के ग्राम रविग्राम के ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषक भूमि के खतौनी खाता सं0–42 के खसरा सं0–3689 मध्ये 0.045 है0 भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–2–2002 एवं शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50(39)–2015/2014 दिनांक 09.07.2015 मे निहित प्राविधानों के अधीन शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नगर पालिका परिषद, जोशीमठ हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8. प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/सी संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या–436/2011/SLC/ No 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
11. उपरोक्तानुसार किया गया भूमि हस्तान्तरण रिट याचिका संख्या–1001/2005 पवन पापुलर लि0 बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं याचिका संख्या–1002/2005 प्राग एग्रो फार्म लि0 बनाम उत्तराखण्ड सरकार में पारित मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्णय के विरूद्ध दायर पुनर्विचार याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तो की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

पृ0सं0– 1318 /XVIII (II)2015–18(08)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जोशीमठ, जनपद चमोली।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव